चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 09.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 09.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस ने 02 अलग-अलग स्थानों से 10 जुआरियों को जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री गौरव तिवारी तथा उ0नि0 श्री नीरज कुमार, आरक्षी नीतू द्विवेदी द्वारा अभियुक्त 1.विनोद कुमार पुत्र सुरेशचन्द्र 2.अवधेश उर्फ पप्पू पुत्र बाबूलाल 3.विमलेश पुत्र रामशंकर 4.धर्मराज पुत्र अर्जुन 5.फूलकुमार पुत्र अर्जुन 6.अर्जुन पुत्र जगमोहन 7.फुलचन्द्र पुत्र अर्जुन निवासीगण कसहाई रोड गोल तालाब थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत के बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 2785/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 205/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग खोही श्री रमेश कुमार यादव तथा आरक्षी राहुल वर्मा, आरक्षी आषीष कुमार, आरक्षी अरविन्द कुमार द्वारा अभियुक्त 1.वीर सिंह पटेल पुत्र डालचन्द्र 2.नन्दकिशोर पुत्र बाबूलाल 3. सुरेश पुत्र रामकिशोर यादव निवासीगण खोही थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत के बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 1000/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 780/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). आज दिनाँक 09.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस ने नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 04.06.2024 को एक व्यक्ति द्वारा थाना मऊ में सूचना दी कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिक पुत्री को राहुल पुत्र देवगुलाम निवासी बरछन थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 166/24 धारा 363 भादवि बनाम रहुल उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा मुकदमे की विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री गंगाचरण प्रजापति को निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री गंगाचरण प्रजापति एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये दिनाँक 07.10.2024 को पीड़िता को बरामद किया गया, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के बयान कराये गये। मेडिकल परीक्षण एवं माननीय न्यायालय में दिये गये बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366,376 भादवि0 व 4/5 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। आज दिनाँक 09.10.2024 को उ0नि0 श्री गंगाचरण प्रजापति एवं उनकी टीम द्वारा आज दिनांक 09.10.2024 को अभियुक्त राहुल पुत्र देवगुलाम निवासी बरछन थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

राहुल पुत्र देवगुलाम निवासी बरछन थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री गंगाचरण प्रजापति थाना मऊ
2.उ0नि0 श्री शाहनवाज खाँ
3.आरक्षी अभिषेक कुमार

(6). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 09.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह द्वारा ग्राम चौरा के दुर्गा पण्डाल में, प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिव आसरे द्वारा राजकीय हाईस्कूल इटवां में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा तुलसी इण्टर कालेज राजापुर में, एण्टी रोमियों टीम मऊ द्वारा प्राईमरी विद्यालय बरवार में, एण्टी रोमियों टीम थआना रैपुरा द्वारा गया प्रसाद जूनियर हाईस्कूल रैपुरा में, एण्टी रोमियों टीम थाना मानिकपुर द्वारा ग्राम डांडी कोलान मजरा बराहमाफी में जागरुकता कार्यक्रम/चौपाल का आयोजन कर छात्राओं/महिलाओं को साइबर अपराधों के सम्बन्ध में जागरुक किया गया। इन कार्यक्रमों में छात्राओं को समाज में चल रहे साइबर अपराध के प्रति जागरुक करते हुये बताया गया कि सोशल मीडिया के प्रयोग करते समय अपने पासवर्ड किसी से साझा न करें तथा किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को अपना ओटीपी न बतायें तथा साइबर सम्बन्धी अपराध की शिकायत हेतु साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल कॉल करें। इस दौरान छात्राओं को 1.मोबाइल कम्पनी से कॉल 2. ट्रू-कॉलर का दुरुपयोग 3. सोशल मीडिया के माध्य से आने वाली वीडियो कॉलिंग 4. सेल्फी से बायोमैट्रिक 5. डिजिटल अरेस्ट 6.वॉयस क्लोनिंग या कहें आवाज की मिमिक्री के द्वारा साइबर फ्रॉड 7.स्कूल गये बच्चों के नाम पर मैसेज/कॉल करके 8.कोरोना वैक्सीन के नाम पर कॉल करके 9.वाहन सीज कराने के नाम पर कॉल आदि के बारे में जानकारी देकर जागरुक किया गया।

इस दौरान छात्राओं को महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा आदि के विषय में जागरूक किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 96/2022 धारा 302 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त लक्ष्मण निषाद पुत्र बच्चा उर्फ हरीशचन्द्र निषाद निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.06.2022 को वादी श्री राम अवतार पुत्र रामसंवारे यादव निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी थी कि उनके खेत में बने बोर बेल में अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पिता रामसंवारे यादव की धारदार औजार से हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 96/2022 धारा 302 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष रैपुरा श्री राकेश मौर्य द्वारा की गयी। विवेचक द्वरा विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त लक्ष्मण निषाद उपरोक्त को दिनाँक 16.10.2022 को गिरफ्तार किया गया था। विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दिनाँक 06.11.2022 को आरोप-पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 915/2014 धारा 307/34,323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. हीरालाल पुत्र बुद्दू कुशवाहा 2. रामनाथ पुत्र चिरौजीलाल निवासी शिवरामपुर जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 05-05 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनाँक 30.11.2014 को वादी जीवनलाल पुत्र बोडा निषाद निवासी शिवरामपुर द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि अभियुक्तगणों द्वारा वादी के पुत्र शंकर को प्लाट का काम करवाते समय जान से मारने की नियत से कुल्हाडी मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया और गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 915/2014 धारा 307/34,323,504,506 भादवि0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री सुजान सिंह तोमर द्वारा की गई। आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 19.02.015 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(9). आज दिनांक 09.10.2024 को दशहरा /दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में उप जिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद झां, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार की उपस्थिति में नवरात्रि/दशहरा/दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत थाना राजापुर क्षेत्र अन्तर्गत होने वाले मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया गया साथ ही बारुद लाइसेंस धारकों व भंडारण करने वालों ,पटाखा लाइसेंस धारकों के साथ भंडारण करने वाले स्थान का भौतिक निरीक्षण किया गया तथा तथा उनके लाइसेंस चेक किए गए।

(10). आज दिनांक 09.10.2024 नवरात्रि त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी श्री उमेश चंद्र निगम,अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा उप जिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद झां, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय की उपस्थिति में थाना राजापुर क्षेत्र अन्तर्गत होने वाले दुर्गा मूर्ति विसर्जन स्थल गंगे तालाब का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।
इस दौरान प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार सिंह व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(11). आज दिनाँक 09.10.2024 को नवरात्रि त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी सदर सुश्री पूजा साहू, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल व क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली की उपस्थिति में कोतवाली कर्वी पुलिस बल के साथ नवरात्रि त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु कर्वी शहर के धनुष चौराहा,बस स्टैण्ड,काली देवी चौराहा,भगवान दीन चौराहा,घुस मैदान,शंकर बाजार,धतुरहा चौराहा आदि मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीम द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया तथा संदिग्ध वाहनों,संदिग्ध व्यक्तियों से पूंछताछ की गयी।

पैदल गस्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थिति रहें।

(12). आज दिनाँक 09.10.2024 को नवरात्रि त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह निर्देशन में अपर जिलाधिकारी श्री उमेश चन्द्र निगम,अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद झाँ, क्षेत्राधिकारी नगर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय उपस्थिति में थाना राजापुर पुलिस बल के साथ नवरात्रि त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु कस्बा राजापुर के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीम द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया तथा संदिग्ध वाहनों,संदिग्ध व्यक्तियों से पूंछताछ की गयी।
पैदल गस्त के दौरान प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थिति रहें।